बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या–2/कोर्ट–43/2014– /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2019

डा० अरविन्द कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांटी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गई अवधि दिनांक–04.06.2002 से 20.05.2003 तक को विभागीय पत्रांक–2202(2) दिनांक–01.12.2006 द्वारा विनियमित किया गया था। उक्त विनियमन आदेश में डा० सिन्हा के दिनांक–04.06.2002 से 31.10.2002 तक की अवधि को असाधारण अवकाश (वेतन रहित) तथा शेष अवधि दिनांक–01.11.2002 से 20.05.2003 तक को पदस्थापन की प्रतीक्षा/कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया गया था।

2. उक्त विनियमन आदेश के विरुद्ध डा० सिन्हा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या–11207/2014 (डा० अरविन्द कुमार सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–09.01.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

> **"Considering the aforesaid submissions and the order of the Department dated 06-06-1992 as well as the order of this Court passed in C.W.J.C. No. 11184 of 2003, this Court is of the opinion that the petitioner would be entitled to payment of his salary since 04-06-2002 to 31-10-2002 along with all other consequential benefits.**

3. माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त डा० सिन्हा से संबंधित दिनांक–04.06.2002 से 31.10.2002 तक की अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षा/कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया जाता है।

4. अतएव उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक–2202(2) दिनांक–01.12.2006 की कंडिका संख्या–1 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:–

1 दिनांक–04.06.2002 से 31.10.2002 तक – पदस्थापन की प्रतीक्षा/कर्त्तव्य अवधि के रूप में।

5. उक्त आदेश की प्रति डा० अरविन्द कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांटी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को निबंधित डाक से उपलब्ध करा दी जाय।

6. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

D>Scc-2>2019>Adesh 19

ज्ञापांक–2/कोर्ट–43/2014– 794(2) पटना, दिनांक 8/3/ 2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/एस०सी०–26, माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांटी, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया /जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० अरविन्द कुमार सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांटी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5.3.19

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

D>Sec-2>2019>Adesh 19